भारतीय नवजागरण और कहानीकार प्रेमचन्द

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

की

पी-एच०डी० (हिन्दी)

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

की संक्षेपिका

शोध निर्देशक :

डॉ० राजेन्द्र सिंह

एम.ए., एम.फिल्, पी-एच.डी., डी. लिट्.

रीडर, हिन्दी-विभाग

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय

रोहतक

प्रस्तुतकर्त्री :

राज कुमारी

हिन्दी-विभाग

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय

रोहतक

अप्रैल 2003

संक्षेपिका

भारतीय समाज–व्यवस्था अत्याधिक प्राचीन है। यहां पर जाति तथा वर्ण–व्यवस्था प्राचीन काल से ही प्रचलन में रही है। पहले तो वर्ण–व्यवस्था की तुलना हमारे शरीर से की गई है। हमारे शरीर के मस्तिष्क की तुलना ब्राह्मण से की गई है मस्तिष्क को शरीर का सर्वश्रेष्ठ अंग माना जाता है इसीलिए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता था। पेट की तुलना वैश्यों से की गई क्योंकि वैश्य की भान्ति पेट भी लेने देने का कार्य करता है। हाथों की तुलना क्षत्रियों से की गई है। हाथों का कार्य भी क्षत्रियों की भांति रक्षा करना है। पैरों की तुलना शुद्रों से की गई थी। जिस प्रकार से सभी अंग मिलकर शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता देता है। ठीक इसी प्रकार से समाज के विभिन्न अंग मिलकर समाज व्यवस्था के संचालन में सुचारू रूप से सहयोग देते थे।

भिन्न–भिन्न जातियों के विचार भी भिन्न–भिन्न होते हैं , उनके विचारों के अनुरूप ही उनके कर्म बन जाते हैं। जैसे–जैसे समय व्यतीत होता गया, वैसे–वैसे जाति व्यवस्था भी दूषित होती चली गई। वे दोष समय के साथ–साथ रूढ़ियों का रूप धारण करते चले गए। रूढ़ियों के साथ–साथ लोगों में अंधविश्वास भी घर कर गए। जब लोगों में व्याप्त भ्रान्तियों, रूढ़ियों, कुरीतियों तथा अंध–विश्वासों को दूर करने के लिए उनमें जागृति उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। लोगों में जागृति उत्पन्न करने को नवजागरण या पुनर्जागरण कहा जाता है। जब भी भारत में नवजागरण की लहर उठी तब जनता के सामने वेदांत की भूमिका अहम रही। अंगेजी राज के दौरान ज्यों–ज्यों भारतवासियों पर अंग्रेजी राज का दबाव बढ़ता गया, त्यों–त्यों लोगों के मन में यह भावना बलवती होती गयी कि बल्कि उसे अपनी अध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक सभ्यता जो उसे –विरासत में मिली है, से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है।

उन्नीसवीं शताब्दी तक भारतीय समाज तथा विशेषतौर पर हिन्दू धर्म में समाज–सुधार की काफी आवश्यकता पड़ने लगी थी। बीसवीं शताब्दी के शुरू में ही दासता से छुटकारा दिलाने के लिए स्वतंत्रता आन्दोलने राष्ट्रीय जागरण के रूप में आरम्भ हुआ। पाश्चात्य विज्ञान तथा विभिन्न प्रथाओं का सामना करने के लिए भारतीयों ने अपने वेद पुराणों का सहारा लिया। इस

स्वतंत्रता आन्दोलन तथा उसके नेताओं ने भारतीयों ने अपने वेद पुराणों का सहारा लिया। इस स्वतंत्रता आन्दोलन तथा उसके नेताओं ने भारतीयों के लिए उसी प्रकार कार्य किया जिस प्रकार इटली के पुनर्जागरण आन्दोलन तथा जर्मनी के धर्म-सुधार आन्दोलन । इलमें भी विशेष महत्त्व की बात यही थी कि वहाँ के देशवासियों में स्वतन्त्रता की इच्छा उत्पन्न हुई थी ।

भारत में नवजागरण का शुभारम्भ राजनैतिक दासता से उत्पन्न दुख एवं निराशा के परिणामस्वरूप हुआ । अंग्रेजी सभ्यता के सम्पर्क में आने के कारण भरतीय जनता में भी उद्वेलन उत्पन्न हुआ , जिसके फलवरूप समाज सुधार के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए । इनमें से बाल विवाह निषेध , सती प्रथा, पर्दा–प्रथा, जाति प्रर्था , अस्पृश्यता का विरोध तथा विधवा–विवाह, नारी शिक्षा के प्रचार का समर्थन इत्यादि प्रमुख है । इन समाज–सुधारों को चरितार्थ करने का श्रेय विभिन धार्मिक संस्थाओं समाजों जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसायटी तथा रामकृष्ण मिशन तथा इनके संस्थापक राजा राममोहन राय, केशवचन्द सेन, महादेव गोविन्द रानाडे, महर्षि दयानन्द सरस्वति, रामकृष्ण परमहंस, ऐनीबेसेन्ट, विवेकानन्द इत्यादि महापुरूषों को जाता है।

भारतीय नवजागरण के द्वारा समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों, रूढियों, तथा अन्धविश्वासों के उन्मूलन के प्रति गम्भीर प्रयास किए गए तथा लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने में भी उल्लेखनीय सहायता मिली । इससे शिक्षा धर्म व संस्कृति भी प्रभावित हुए बिना न रह सकी जिसके फलस्वरूप साहित्य में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। कविता के क्षेत्र में भी नवजागरण की लहर चली। तत्कालीन समय में कथा–साहित्य ने भी अपने परम्परागत रूप को त्याग कर सामाजिक जीवन की ओर करवट बदली। प्रेमचन्द की सभी कहानियां सामाजिक जीवन के इर्द–गिर्द लिपटी हुई नजर आती हैं।

प्रेमचन्द की विभिन्न कहानियां जैसे–नैराश्य–लीला, मृतक–भोज, लांछन इत्यादि में बाल–विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। इन्हीं कहानियों तथा सुभागी व धिक्कार कहानी में विधवा–विवाह का समर्थन किया गया है जबकि तत्कालीन समय में विधवा–विवाह को बहुत ही बुरा समझा जाता है, लेकिन प्रेमचन्द ने समाज को जाग्रत करने के लिए इस विवाह का उल्लेख अपनी कहानियों के माध्यम से किया। इन्हीं कहानियों में जाति–पाति का भेदभाव भी समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इन कहानियों की नायिकाएं सभी माता–पिता की

लाड़ली है। धिक्कार कहानी में मानी के माता–पिता की मृत्योपरांत वह चाचा–चाची के घर में ही रहकर उनके घर का पूरा काम–काज करती हैं तथा उसके साथ चाचा–चाची व अन्य घर के सदस्यों का व्यवहार नौकरों के समान किया जाता है। उसे बाल–विधवा होने के कारण किसी भी समारोह में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। समाज में विधवाओं से अपने ही रिश्तेदारों द्वारा सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। 'बेटों वाली विधवा' कहानी में प्रेमचन्द ने यह दिखाया है कि जो बेटे अपने पिता के जीवित रहते हुए अपनी मां का बड़ा सम्मान करते थे तथा उसकी इच्छा के अनुरूप जीवन व्यतीत करते है। वही पिता की मृत्यु के पश्चात उससे उसके सारे अधिकार छीनकर उसे नौकरों के स्थान पर घर का सारा काम करने पर मजबूर कर देते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से विधवाओं की दुर्दशा का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए प्रेमचन्द ने विधवा–विवाह का समर्थन किया। अपनी कहानियों में उन्होंने 'धिक्कार' की मानी तथा 'सुभागी' में सुभागी का विवाह रचा दिया "प्रेम और भक्ति नाम से नहीं, व्यक्ति से होती है। जिस पुरूष की उसने सूरत भी नहीं देखी, उससे उसे प्रेम नहीं हो सकता। केवल रस्म की बात है। इस आड़म्बर की, इस दिखावे की हमें परवाह न करनी चाहिए।"[1] 'सुभागी' कहानी में तो प्रेमचन्द ने आम जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए यह दिखाया है कि बाल–विधवा को उसक गुणों के कारण लोग अपनी पुत्र–वधु बनाने को तैयार हो जाते हैं "मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। जात–पात का कायल हूं, मगर तुमने मेरे सारे बन्धन तोड़ दिये।"[2]

अनमेल–विवाह के विषय में उन्होंने 'स्वर्ग की देवी' नरक का मार्ग, उद्धार, भूत, शान्ति, नया–विवाह, कुसम आदि कहानियों में वर्णन किया है। अनमेल विवाह के समाज में कई कारण थे। कई अनमेल–विवाह विवशता तथा गरीबी के कारण सम्पन्न होते थे। इस प्रकार के विवाहों से समाज में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं वृद्ध पुरूषों की शीघ्र मृत्यु होने से विधवाओं की संख्या वृद्धि होती गयी। प्रेमचन्द ने 'नरक का मार्ग' कहानी के माध्यम से समाज में बढ़ती हुई 'अनमेल–विवाह' की कुरीति को रोकने का प्रयास किया तथा कहा कि "मेरे अधः पतन का

---

1. प्रेमचन्द : 'मानसरोवर भाग एक, धिक्कार', पृ॰ 211

2. वही, 'सुभागी', पृ॰ 258

अपराध मेरे सिर नहीं, मेरे माता–पिता और उस बूढ़े पर है जो मेरा स्वामी बनना चाहता था। मैं यह पक्तियां न लिखती, लेकिन इस विचार से लिख रही हूं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर लोगों की आंखें खुलें, मैं फिर कहती हूं, अब भी अपनी बालिकाओं के लिए मत देखो धन, मत देखो जायदाद, मत देखो कुलीनता, केवल वर देखो। अगर उसके लिए जोड़ का वर नहीं पा सकते तो लड़की को क्वांरी रख छोड़ो, जहर दे कर मार ड़ालो, गला घोंट ड़ालों, पर किसी बुढ़े खूसट से मत ब्याहो।''[3]

प्रेमचन्द कभी भी नारी के शील भंग होने के पक्षधर नहीं थे और न ही उन्होंने अपनी कहानियों में किसी भी स्त्री के चरित्र–हनन का चित्रण किया है। प्रेमचन्द वेश्याओं के उद्धार के पक्षधर थे। वेश्याओं के विषय में उन्होंने कोई रस नहीं लिया। वह नवजागरण की प्रेरणा से प्रेरित थे और उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से यह दिखाया कि यह स्वेच्छा से इस कर्म में प्रवृत नहीं हुई बल्कि किसी कारणवश समाज ने उन्हें यह कर्म करने पर मजबूर कर दिया है। इस विषय में प्रेमचन्द ने वेश्या, बहिष्कार, दो कब्रें इत्यादि कहानियों में यह दिखाया गया कि यह वर्ग भी समाज में परिवार की ओर तथा घर बसाने की ओर लालायित रहता है तथा समाजकी सामान्य धारा से जुड़ना चाहता है। उनकी भी यह चाहत है कि उन्हें भी कोई इस कोठे से उतार कर इसे इज्जत का सामान्य जीवन जीने का अधिकार दे।

तत्कालीन समय में बहु–विवाह प्रथा का बड़ा प्रचलन था। प्रेमचन्द ने आगा–पीछा, अग्नि समाधी, बहिष्कार, सोहाग का शव, जीवन काशाप, उन्माद, मिस पद्मा, सौत, खुचड़ इत्यादि कहानियां लिखी। जिनमें बहु–विवाह कुरीति को विषय बनाया गया है। प्रेमचन्द इस कुरीति को समूल नष्ट करना चाहते थे ताकि स्वस्थसमाज का निर्माण हो सके।

दहेजप्रथा को भी वह एक कुरीति मानते थे उसे एक प्रकार का कोढ़ समझते थे जिसे समाज से समाप्त करना अति अनिवार्य मानते थे। इस दहेज प्रथा के कारण भी मजबूरन अनमेल विवाह करने पडे तथा इसी दहेज प्रथा के कारण बहुत सी बहु–बेटियों की बलि चढ़ गई। इस प्रथा के विषय में कई कहानियां जैसे उद्धार, एक आंच की कसर, विद्रोही, कुसुम, गिला इत्यादि। उन्होंने समाज में दहेज–विरोधी भावना को जाग्रत करने के लिए, लोगों को इस प्रेरित करने के

---

3. प्रेमचन्द : 'नरक का मार्ग' 'मानसरोवर' भाग तीन, पृ॰ 29

लिए कहानियों की रचना की जिससे ऐसा प्रतीत हो कि दहेज–प्रथा एक ऐसा असुर है जिसे समाप्त करना अति–आवश्यक है।

प्रेमचन्द ने पर्दा–प्रथा की भी गड़ी आलोचना की तथा उन्होंने अपनी कहानियों स्वर्ग की देवी, ढ़पोरसंख, दुराशा, कहानी कुमार इत्यादि के माध्यम से इस प्रथा की आलोचना की है। वे तो इस प्रथा से इतने क्षुब्ध थे कि वे स्वयं चाहते थे कि इस प्रथा को समाप्त करने के लिए अगर कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़े तो वह भी लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इस था का उन्होंने इसीलिए विरोध किया क्योंकि इससे नारी जाति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस विषय में 'कानूनी कुमार' कहानी में अपने विचार व्यक्त किए हैं। "एक ऐसा कानून बनना चाहिए, जिससे कोई स्त्री परदे में न रह सके। अब समय आ गया है कि इस विषय में सरकार कदम बढ़ाये। कानून की मदद के बगैर कोई सुधार नहीं हो सकता और यहां कानूनी मदद की जितनी जरूरत है उतनी ओर कहां हो सकती है। माताओं पर देश का भविष्य अवलम्बित है। परदा–हटाव बिल पेश होना चाहिए।"[4]

प्रेमचन्द के युग में अन्धविश्वास, धार्मिक पाखण्ड़ों का बड़ा बोल बाला था। वे लोगों की आंखों पर पड़े पाखंड के पर्दे को हटाकर उनका वास्तविकता से साक्षात्कार करवाना चाहते थे ताकि वे इन धार्मिक पाखण्ड़ों से बाहर निकले व उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। उन्होंने इस विषय में बहुत सी कहानियां लिखीं जैसे लॉटरी, सद्गति, सवा सेर गेंहू, पछतावा, मुक्ति मार्ग, मंत्र, मंदिर, महातीर्थ, माता का हृदय, मूठ, तैंतर, मुक्तिधन, बासी भात में खुदा का साझा, मृतक–भोज नाग–पूजा, अनिष्ट शंका इत्यादि। इनमें से अधिकतर कहानियों में प्रेमचन्द ने उन धार्मिक पाखण्डों पर प्रकाश ड़ाला है जो निर्मूल हैं तथा व्यवहारिक नहीं हैं। धार्मिक पाखण्डों के कारण जाति–गत भेदभाव उत्पन्न हुए। जातिगत भेदभावों को प्रेमचन्द ने सदैव तिरस्कृत दृष्टि से देखा। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में उत्पन्न जातिगत भेदभावों को दूर करने का प्रयास किया। समाज में इतना अधिक दुर्व्यवहार चमारों तथा अन्य हरिजनों से किया जाता था कि देखकर तथा सुनकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। दलितों को छुना तो बड़ी दूर की बात है अगर उनकी लाश भी दिखायी दे जाए तो वे घर जाकर स्नान करके पवित्र होते थे

---

4. प्रेमचन्द : 'कानूनी कुमार' 'मानसरोवर' भाग दो, पृ॰ 258

या फिर उस तरफ से रास्ता ही बदल देते थे। सद्गति, ठाकुर का कुआं, हिंसा परमों धर्मः, तगादा, आसुओं की होली, मंदिर, मंत्र, ब्रह्म का स्वांग इत्यादि कहानियों में यह दिखाया गया है कि चाहे नीच–जाति के लोग प्यास से मर जाएं लेकिन वे उच्च जाति वालों के कुओं से पानी नहीं ले सकते थे। उन्हें मन्दिर में पूजा करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ऊंची जाति के लोग अपने स्वार्थ के लिए नीची जाति की औरत से अपने बच्चों को दूध भले ही पिलवा दें लेकिन उनके छुने से भी वे मानते हैं कि छूत लग गई। प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों में जागृति उत्पन्न करने की कोशिश की है ताकि जाति–गत भेद–भावों को मिटा कर सारा समाज सद्भावना से रहे। उन्होंने उन्होंने यह भी दिखाया कि सभी एक समान हैं कोई छोटा या बड़ा नहीं है। वह समाज में समता के पक्षधर थे। इसीलिए उन्होंने मंत्र कहानी में लिखा "पंडित जी अब वह अपने ब्राह्मणत्व पर घमंड करने वाले पंडित जी न थे। उन्होंने शुद्रों और भीलों का आदर करना सीख लिया था। उन्हें छाती से लगाते हुए अब पंड़ित जी को घृणा न होती थी।"[5] हिंसा परमो धर्मः में "आज अगर इस मुसलमान युवक ने मेरी मदद न की होती तो आबरू चलीं गयी थी।"[6] भाई–चारे की भावना यथार्थवाद का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तत्कालीन समय में शराब इत्यादि दुर्व्यसनों का बड़ा ही प्रचलन था। गांधी जी ने इसके विरूद्ध आन्दोलन छेड़ दिया था ताकि इस दुर्व्यसन से लोगों को छुटकारा मिल सकें। प्रेमचन्द गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे इसीलिए उन्होंने कई कहानियां दीक्षा, कुत्सा, शराब की दुकान, लोकमत का सम्मान इत्यादि लिखी।जिनमें उन्होंने इससे होने वाली हानि को दिखाया है ताकि लोग इसका सेवन न करें। इसके विरूद्ध धरने दिए जाते थे तथा दुकानों को बंद करवाया गया ताकि लोग इस दुर्व्यसन का त्याग कर दें। प्रेमचन्द ने शराब की लत के विषय में लिखा है कि 'भैया, है तो बुरी चीज, घर तबाह करके छोड़ देती है। मुदा इतनी उमर पीते कट गयी, तो अब मरते दम क्या छोड़े ?"[7]

प्रेमचन्द ने अपने युग में प्रचलित रिश्वत खोरी के विरूद्ध भी आवाज उठायी वे इस कुरीति को समाप्त करने के पक्षधर थे। रिश्वत के बल पर निषिध कार्य भी सम्पन्न करवा लिए

---

5. 'मंत्र', ('मानसरोवर' पांचवां भाग), पृ॰ 55

6. 'हिंसा परमो धर्म :', ('मानसरोवर' पांचवां भाग), पृ॰ 85

7. 'शराब की दुकान' ,('मानसरोवर' सातवां भाग), पृ॰ 33

जाते थे। रिश्वत लेने वाला मनुष्य कभी भी यह नहीं सोचता कि रिश्वत देने वाला मनुष्य कोई अमीर है या गरीब। रिश्वत की भूख बढ़ती ही चली जाती है तथा रिश्वत लेना वाला फिर भी भूखा ही रह जाता है कभी भी तृप्त नहीं हो पाता। इस विषय में 'दण्ड़' कहानी में प्रेमचन्द ने लिखा है कि निकालो अभी और, ओस से प्यास नहीं बुझती। भला दहाई तो पूरा करो। ड़ालो–डालो कमर में हाथ। भला कुछ मेरे नाम की लाज तो रखो। मिस्टर सिन्हा इस मामले में जरा भी रियायत न यकरते थे।''[8] सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी रिश्वत को मासिक आय से भी अधिक महत्त्व देते थे उनके अनुसार ''ऊपरी आय बहता हुआ स्त्रोत हैं जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है।''[9] पुलिस के महकमें में रिश्वत लेना एक आम बात थी। वे तो बिना रिश्वत लिए कोई भी काम करना पसन्द नहीं करते थे। इसी तरह पटवारियों को भी रिश्वत लेने की आदत थी। रिश्वत लेना एक अपराध समझा जाता था तथा समाज में एक कलंक के समान समझा जाता था। ''चोर को अदालत में बेंत खाने से उतनी लज्जा नहीं आती, स्त्री को कलंक से उतनी लज्जा नहीं आती, जितनी किसी हाकिम को अपनी रिश्वत का परदा खुलने से आती है। वह जहर खाकर मर जायगा। पर संसार के सामने अपना परदा न खोलेगा।''[10]

इसीलिए प्रेमचन्द ने ऐसी कहानियों की रचना की जिनको पढ़कर लोगों में जाग्रति उत्पन्न हो तथा वे न रिश्वत दें और न ही रिश्वत लें।

प्रेमचन्द ने जाति–पाति के भेदभावों को मिटाने के लिए भरसक प्रयास किया। उन्होंने अपनी कहानियों में अन्तर्जातीय विवाहों की रचना कर डाली। जिससे लोगों में आपसी भाईचारे की भावना जागृत हो तो लोगों के बीच से जाति–पाति की दीवार हट जाए। आपस में सद्भावना बढ़े तथा समाज में ऊंच–नीच का भेदभाव दूर हो जाए तथा समानता हो जाए कायर कहानी में भी प्रेमचन्द ने अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रेरित किया। 'सौभाग्य के कोड़े' कहानी में रत्ना ने उच्च कुलीन कन्या होते हुए भी एक दलित आचार्य से शादी की। उन्होंने लोगों के सामने एक उच्च आदर्श रखा।

---

8. 'दण्ड़' , ('मानसरोवर' तीसरा भाग), पृ॰ 127
9. 'नमक का दरोगा' ('मानसरोवर' आठवां भाग), पृ॰ 234
10. 'दण्ड़' , ('मानसरोवर' तीसरा भाग), पृ॰ 131

शोषक के विरूद्ध भी प्रेमचन्द ने आवाज उठायी, जो जोंक की भांति शोषितों का रक्त चूसते रहते थे शोषकों का जनता के सामने पर्दाफाश किया। शोषण करने वाले अकेले जमींदार ही नहीं बल्कि साहूकार, कारिन्दे पुलिस विभाग के कर्मचारी, पटवारी इत्यादि शमिल थे। यह शोषक वर्ग सभी जातियों के लोगों से बेगार करवाने में सिद्धहस्त था। नाई, धोबी, तेली, लुहार, बढ़ई सबसे ये बेगार करवाते थे ऊपर से यदि थोड़ी बहुत कमी रह जाती बहुत बुरी तरह से पीटा जाता था। कई तो बेगार करते–करते अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। जैसे सद्गति कहानी में दुखी चमार पण्डित की लकडियां काटते–काटते मृत्यु को प्राप्त हो गया था। एक तो इनका शारीरिक शोषण होता था दूसरा आर्थिक शोषण होता था। ग्रामों में गरीबी अधिक होने के कारण महाजनों से पैसा उधार लेना पड़ता था। उनकी ब्याज दर अधिक होने के कारण गरीब लोग कभी भी उऋण नहीं हो पाते थे। यदि जीवन में एक बार पैसा उधार ले लिया तो आजीवन उससे उऋण होना तो दूर बल्कि अगली पीढ़ियों को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ता था। अपना सारा जीवन महाजनों की सेवा में लगाना पड़ता था प्रेमचन्द ग्रामीण अंचल से सम्बन्धि होने क कारण उनकी सभी समस्याओं तथा दुख–दर्दों से परिचित थे। इसीलिए उन्होंने अपनी अनेक कहानियों मुक्तिधन, बेटी का धन, पूस की रात, सवा सेर गेंहू, मुक्ति मार्ग, दो–भाई, लाग–डाट, बलिदान इत्यादि कहानियों में अर्थिक शोषण के विषय में लिखा है। अंग्रेजों के साथ–साथ अपने भारतीयों भाइयों ने भी शोषण में कोई कसर न छोड़ी । लगान तो बरसाती नाले की तरह बढ़ता ही जाता था वह कभी भी कम होने का नाम नहीं लेता उसके लिए कृषकों को ऋण लेना पड़ता था जिससे आजीवन छुटकारा नहीं मिलता था। प्रेमचन्द ने जनता के शोषकों के विरूद्ध जमकर लिखा तथा उनका पर्दाफाश किया।

प्रत्येक साहित्ककार तत्कालीन युगीन परिस्थितियों से अवश्य ही प्रभावित होता है। प्रेमचन्द भी अपने युग की परिस्थितियों से प्रभावित हुए तथा उन्होंने अपनी कहानियों के पात्रों के मानव चरित्रों को प्रत्येक वर्ग तथा प्रत्येक क्षेत्र से लिया गया है। वे स्वयं ग्रामीण परिवेश से जुड़े होने के कारण , उनकी कहानियां भी ग्रामीण परिवेश के प्रत्येक पहलु से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में प्रत्येक वर्ग जैसे मजदूर, किसान, दलित, ऊंच वर्ग इत्यादि के विषय में विस्तार से वर्णन किया। वे वास्तव में मजदूर, किसान, दलित वर्ग को शोषकों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुक्ति के साथ–साथ अज्ञान से भी मुक्ति

दिलाना चाहते थे। उनके कहानी पात्र बिल्कुल सजीव पात्र हैं उनके पात्रों के शोषक तथा शोषित दो वर्ग हैं। प्रेमचन्द की कहानियों में तत्कालीन युग के अनुरूप ही पात्र अपनी भूमिकाएं निभाते हैं तथा संवेदनशील हृदय में विभिन्न भाव जैसे क्रोध या सहानुभूति उत्पन्न करते हैं। उनके पात्र साधारण जीवन से संबंध रखते हैं। प्रेमचन्द केवल कथाकार ही न होकर इसके साथ–साथ एक सच्चे समाज सुधारक, युग प्रवर्तक तथा राष्ट्रीय नवजागरण उत्पन्न करने वाले थे। उन्होंने अपने साहित्य में ग्रामीण जीवन का सजीव वर्णन किया है। वे स्वयं गांव से संबंधित होने के कारण, उस समय में व्याप्त विसंगतियों, परिस्थितियों, मजबूरियों तथा वहां के रीति–रिवाजों, रहन–सहन की जानकारी रखते थे उन सबको अपने साहित्य में यथार्थ रूप से स्थान दिया।

प्रत्येक रचनाकार की रचनाओं में तत्कालीन समय की परिस्थितियों का बड़ा योगदान होता है। प्रेमचन्द के युग में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के अत्याचार, सामंतवाद का शोषण तथा अत्याचार बढ़ गए थे जिसके परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों की दशा शोचनीय हो गई थी। पराधीन भारत समस्याओं से ग्रस्त था तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण ने उसे अत्याधिक कमजोर बना दिया था। ऐसे भयाक्रांत वातावरण में जब मानव अत्याचारों को सहन करने में असमर्थ हो यगा तो विद्रोह कर उठा। प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज की स्थिति को स्पष्ट किया तथा उसके प्रत्येक अंग पर कटु व्यंग्य तथा तीखे प्रहार किए।

प्रेमचन्द नवजागरण से प्रेरित रचनाकार होने के कारण समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फैंकने के लिए उन पर प्रहार किया करते हैं। उन्होंने धार्मिक पाखण्ड़ों का भी जमकर विरोध किया। भारत तत्कालीन समय में परतंत्र था। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय एकता का प्रबल समर्थन किया। वह मानवतावाद के सच्चे समर्थक होने के कारण उन्होंने अपनी रचनाओं में मानवतावाद पर बल दिया। प्रेमचन्द की विभिन्न रचनाएं नवजागरण की भावना से ओत–प्रोत हैं। इसीलिए उन्हें नवजागरण के सच्चे व निष्ठावान अग्रदूत मानना सही होगा। इसी कर्मठता के कारण हम उन्हें शत्–शत् बार नम्न करते हैं।

सामाजिक, राजनीतिक, परिस्थितियों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक व सजग रहकर उन्होंने इतिहास तथा साहित्य का समन्वय किया तथा अपनी रचनाओं को समाज के इतिहास का रूप दे दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालीन परिवेश को जीवंत कर दिया। उनका मुख्य

उद्देश्य देश–सेवा थी। वह उस अस्सी प्रतिशत जनता की सेवा करना चाहते थे जो ग्रामों में निवास करती थी तथा जिनको जी तोड़ मेहनत करने के पश्चात भी दो वक्त की रोटी मयस्र नहीं होती थी। उनके तन भी पूरे नहीं ढ़के जाते थे। वे अपनी रचनाओं विशेष तौर पर कहानियों के माध्यम से भारतीय जनता का उद्धार करना चाहते थे।

वास्तव में प्रेमचन्द ही एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने शोषण के विरूद्ध जमकर लिखा तथा उनका सम्पूर्ण कथा–साहित्य भारतीय नवजागरण की भावना से ओत–प्रोत है। उस समय लिखा गया साहित्य आज के समाज के लिए भी ज्ञान के दीपक का कार्य करता है। उन्होंने अपनी विभिन्न कहानियों पूस की रात, लोकमत का सम्मान, विध्वंस में दिखाया कि कृषक सारा वर्ष मेहनत करके भी अपने परिवार तथा अपना पेट पालने में असमर्थ रहता है। आम जनता में जागृति लाने के लिए, उनमें नवजागरण को प्रेरित के लिए उन्होंने समर–यात्रा, जुलूस, जेल इत्यादि कहानियां लिखीं। जो पराधीनता को समूल समाप्त करने में मील का पत्थर साबित हुई। उपदेश, पछतावा, मुक्तिधन इत्यादि कहानियों में शोषण के विरूद्ध लोगों में जागृति उत्पन्न करने की भरपूर चेष्टा की है। उन्होंने अपनी कहानियों की सहायता से दमन, शोषण, पराधीनता के विरूद्ध आवाज उठाकर समतामूलक स्वाधीन राष्ट्र की नींव रखी तथा भारत की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप भारतीयों को आकार प्रदान किया है। आज के पाठकों में भी प्रेमचन्द इतने लोकप्रिय हैं कि कोई उन्हें कथा–सम्राट , कोई उपन्यास सम्राट तथा कोई कथा–साहित्य सम्राट आदि अलंकारों से अलंकृत करता है। प्रेमचन्द का रचनाकाल छायावाद युग के अन्तर्गत माना जाता है। जिस समय वे साहित्य–सृजन में लीन थे, उस समय साहित्य में छायावाद चल रहा था। छायावाद की विशेषता के रूप में प्रेम का महत्त्वपूर्ण विषय माना जाता है। इस युग की अध्कितर रचनाओं में प्रेमिकाओं का बोलबाला है लेकिन प्रेमचन्द ने भी नारी को अपनी कहानियों का विषय बनाया। उसे साधारणतः मां, बहन या पत्नी के रूप में दिखाया है। उन्होंने नारी को उच्चादर्श वाली दिखाया है। उन्हें नारी का चरित्रवान होना अत्याधिक पसंद था।

प्रेमचन्द ने हिन्दी साहित्य में एक क्रान्तिकारी योगदान दिया। उन्हें कहानी सम्राट माना जाए या उपन्यास–सम्राट यह विवाद का विषय है परन्तु यह सत्य है कि उन्होंने कहानी तथा उपन्यास दोनों में ही बड़े जोर–शोर से नवजागरण की लहर को प्रतिपादित किया। उन्होंने

तिलिस्मी–ऐयारी या रोमांचकारी कहानियां नहीं लिखीं। उन्होंने ऐसे साहित्य का सृजन किया जो आम आदमी को समझ में आ सके तथा उन्होंने हिन्दी कथा साहित्य को उच्च शिखर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया जो आजकल के रचनाकारों के लिए असम्भव सा प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचन्द ने समाज में फैली कुरीतियों, रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों के विरूद्ध अपनी कहानियों के माध्यम से जनमत तैयार किया ताकि उन्हें जड़ से उखाड़ कर फैंका जा सके। लोगों में जागृति उत्पन्न की ताकि वे उन बुराइयों को दूर करने में लोग आगे आएं तथा पुनीत कार्यों में सहयोग दें जिससे समाज में फैली कोढ़ रूपी कुरीतियों को समाप्त किया जा सके। उन्होंने समाज में फैले शोषण के विषय में जानकारी दी तथा उससे छुटकारा पाने के लिए समाधान भी अपनी कहानियों के माध्यम से दिए। उनकी सभी कहानियां नवजागरण की विचारधारा से ओत–प्रोत हैं तथा वह पाठकों को भी इसी का संदेश देती हैं। उन्होंने आम जनता में नवजागरणं के संदेश को कूट–कूटकर भर दिया। अतः यह कहा जा सकता है कि मुन्शी प्रेमचन्द भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कहानीकार थे।

भारतीय नवजागरण और कहानीकार प्रेमचन्द

रूपरेखा

प्राक्कथन

प्रथम अध्याय :

भूमिका :

(क) विषय प्रवेश एवं शोध की सार्थकता

(ख) कहानी का अर्थ , परिभाषा एव स्वरूप विवेचन

(ग) भारतीय नवजागरण की धारणा और ऐतिहासिक संदर्भ

द्वितीय अध्याय :

भारतीय नवजागरण की विकास प्रक्रिया : अर्थ एवं स्वरूप

(क) अंग्रेजी–शिक्षा की नीति

(ख) सामाजिक जागरण

(ग) राजनीतिक जागरण

(घ) धार्मिक जागरण

(च) आर्थिक जागरण

तृतीय अध्याय :

भारतीय नवजागरण के प्रमुख सुधारात्मक आन्दोलन :

(क) ब्रह्म समाज

(ख) प्रार्थना समाज

(ग) आर्य समाज

(घ) थियोसोफिकल सोसायटी

(च) रामकृष्ण मिशन

समन्वित विवेचन

चतुर्थ अध्याय :

प्रेमचन्द का जीवन परिचय

(क) व्यक्तित्व :

(i) बाह्य व्यक्तित्व

(ii) आन्तरिक व्यक्तित्व

(ख) कृत्तित्व

समन्वित विवेचन

पंचम अध्याय :

प्रेमचन्द की कहानियों में भारतीय नवजागरण नकारात्मक अभिव्यक्ति

1. बाल–विवाह निषेध
2. अनमेल–विवाह निषेध
3. बहु–विवाह निषेध
4. दहेज–प्रथा की आलोचना
5. रिश्वत–खोरी की आलोचना
6. धार्मिक पाखण्डों की आलोचना
7. जाति–गत भेदभावों की आलोचना
8. शराब इत्यादि दुर्व्यसनों की आलोचना
9. परदा–प्रथा की आलोचना

षष्ठ अध्याय :

प्रेमचन्द की कहानियों में भारतीय नवजागरण की सकारात्मक अभिव्यक्ति :

1 पुनरूत्थानवादी रूप :

(क) वेश्या–उद्धार

(ख) अछुतोद्धार

2. मातृ–भूमि के प्रति प्रेम
3. स्वतंत्रता की भावना :

(क) स्वराज्य की भावना

(ख) सत्याग्रह की भावना

(ग) असहयोग आन्दोलन की भावना

4. नारी के विविध रूप

(क) नारी पतिव्रता के रूप में

(ख) सुशिक्षिता

(ग) नारी एक प्रेरक के रूप में

5. विधवा–विवाह का समर्थन

6. अन्तरजातीय–विवाह का समर्थन

7. मानवतावाद

सप्तम् अध्याय :

आर्थिक शोषण

1. जमींदार वर्ग द्वारा शोषण

2. जमींदार के सहायकों द्वारा शोषण

3. कुटीर–उद्योगों का ठप्प होना

4. सरकार द्वारा शोषण

5. शोषक वर्ग द्वारा गरीबों का शोषण

6. महाजन द्वारा शोषण

7. आपसी ईर्ष्या–द्वेष तथा प्राकृतिक आपदायें

अष्टम अध्याय :

उपसंहार

ग्रन्थानुक्रमणिका

Maharshi Dayanand University Library
220367
ROHTAK